न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1952–एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 91/अपील/2005–06.

—

1–नारायण पिता पूना
2–मोहन पिता पूना
3–विकम पिता पूना (मृत वारिसान :–)
(अ)–रामीबाई पति स्व0विकम
(ब)–चंदरसिंह पिता स्व0विकम
(स)–ताराबाई पिता स्व0विकम
(द)–शोभा पिता स्व. विकम
कमांक (स) व (द) नाबालिग पालनकर्ता
माता रामीबाई पति स्व0विकम
निवासीगण ग्राम रामपुरा सुलतानपुर तहसील सरदारपुर
जिला धार म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

नंदराम पिता लक्ष्मण
निवासी ग्राम रामपुरा सुलतानपुर तहसील सरदारपुर
जिला धार म0प्र0

.....अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मेहरूनिशा खान, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 31–7–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 105 पर पारित आदेश दिनांक 2–5–1994 जिसके द्वारा ग्राम रामपुरा स्थित भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 1.894 हेक्टेयर पर अनावेदक नंदराम द्वारा मृतक भूमिस्वामी भागीरथ के स्थान

पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया है, के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकरी द्वारा दिनांक 30–1–2006 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–7–2006 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–1–2006 को स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी भागीरथ ला–औलाद फौत हुआ है, ऐसी स्थिति में उनके विधिक वारिसान आवेदकगण थे, क्योंकि वे मृतक भागीरथ के भाई एवं उनकी संतान है, परन्तु अनावेदक द्वारा फर्जी तौर से अपना नामान्तरण करा लिया गया, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णत अवैधानिक एवं अनियमित है कि आवेदकगण को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में फर्जी नामान्तरण कराया गया है, और वह मृतक भूमिस्वामी का विधिक वारिस नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर आदेश पारित नहीं करना चाहिये था, बल्कि गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करना था, जिससे पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सकता । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक सरदारपुर के न्यायालय में दीवानी वाद कमांक 216–ए/1998 आवेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 28–2–2003 को आदेश पारित कर अनावेदक के पक्ष में डिक्री प्रदान की गई है । व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 18–9–2007 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित किये गये हैं, जो कि विधिसंगत है ।

(3) भागीरथ निसंतान मृत हुआ है तब सभी जीवित भाई वारिस हैं, परन्तु अन्य भाईयों द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(4) व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का स्वत्व निर्धारित कर दिया गया है जो कि राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर आदेश पारित करने में मृतक भूमिस्वामी भागीरथ के विधिक वारिस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, ऐसी स्थिति में यह विधिक आवश्यकता थी कि अनुविभागीय अधिकारी उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील को समय सीमा में मानते हुये गुणदोष पर निराकृत करते, परन्तु उक्त कार्यवाही नहीं कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है और इस तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य करते हुये गुणदोष पर प्रकरण का निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2006 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 30–1–2006 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विशलेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.